सी.एन.आर. नं. :–एम.पी17010157092022

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012),रीवा (म.प्र.)

{पीठासीन–कंचन गुप्ता}

विशेष सत्र प्रकरण कमांक 85/2022
संस्थापन दिनांक 11.10.2022
सी.एन.आर. नं. :– एम.पी17010157092022
फाईलिंग नं11795/2022
ई–फाईलिंग नं. 2134503022046901

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मनगवां जिला– रीवा, म.प्र.

.....अभियोजन

विरूद्ध

संतोष कोल पिता लल्लू कोल उम्र 25 वर्ष निवासी उल्ही खुर्द थाना मनगवां जिला रीवा म.प्र.

.....अभियुक्त

थाना मनगवां जिला रीवा के अपराध कमांक 469/2022 के अंतर्गत भा. दं.सं की धारा 354,354ख,506 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 से उद्भूत विशेष सत्र प्रकरण।

अभियोजन द्वारा श्री रवीन्द्र सिंह विशेष लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्त द्वारा श्री अनिल पाण्डेय अधिवक्ता।

–:: आदेश ::–

(अंतर्गत धारा 232 दं0प्र0सं0)

(आज दिनांक 11.02.2023 को पारित किया गया)

01. अभियुक्त संतोष कोल पिता लल्लू कोल पर भा.दं.सं की धारा 354,354ख,506 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के अंतर्गत यह आरोप है कि घटना

दिनांक 08.09.2022 को समय 08.00 बजे घटना स्थल हजारिया बांध का मोड उल्हीखुर्द मनगवां थानांतर्गत में अवयस्क अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उक्त अभियोक्त्री को गिराकर हाथ से मुॅह दबाकर कपडे उतारने की कोशिश कर पेट एवं सीने में हाथ लगाकर विवस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग एवं उक्त अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास एवं लैंगिक हमला कारित किया किया।

02. **न्यायदृष्टांत भूपेन्द्र शर्मा विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य 2003 एस.सी.सी पेज 551 तथा निपुन सक्सेना विरूद्ध यूनियन आफ इण्डिया(2019) 2 एस0सी0सी0 703 तथा धारा 228(क) भा. दं.सं एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अनिधिनियम 2012 की धारा 33(7)** के अंतर्गत अभियोक्त्री एवं उसके कुटुंब, की पहचान गोपनीय रखने के आशय से अभियोक्त्री व उसके कुटुम्बजन को उनके नाम से संबोधित नहीं किया जा रहा है इसी तारतम्य में अभियोजन साक्षीगण को अभियोक्त्री (अ.सा 01) अभियोक्त्री का पिता (अ. सा 02) से संबोधित किया जा रहा है।

03. अभियोजन कथानक का सारांश यह है कि फरियादी अभियोक्त्री अपनी मॉ एवं पिता के साथ थाना मनगवां जिला रीवा में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किरायी कि दिनांक 08.09.2022 को सुबह 08.00 बजे अपने खेत से मूंग तोडने जा रही थी रास्ते में संतोष रावत उसे मिला और बोला कि वह उसके साथ मूंग चाबने चलेगा फिर संतोष भी उसके साथ चल दिया जैसे ही वे लोग हजारिया बांध मेड में पहुॅची बबूल के पेड के आगे मेड पर ही संतोष उसे पैर से लिग्गीं मार दिया तो वह गिर गयी तो वह चिल्लाई तब संतोष एक हाथ से उसका मुंह दबा लिया और एक हाथ से उसके सीने पेट में हाथ लगाने लगा और उसके कपडे उतारने लगा तब वह किसी तरह से अपने आप को छुडा कर वहॉ से भागी तो संतोष रावत बोला कि अगर ये बात किसी को बतायी तो जाने से खत्म कर देगा तब वह खेत में अपनी मॉ के पास गयी और मॉ को सारी घटना बतायी। फिर मॉ के साथ घर आकर घर वालों को सारी घटनाबतायी फिर वह अपने माता पिता के साथ रिपोर्ट करने आयी।

04. फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 469/2022 कायम किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर भा.दं.सं की धारा 354,354ख,506 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के अंतर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया।

05. अभियुक्त के विरूद्ध पैरा क्रमांक 1 के अनुसार आरोप लगाये गये। अभियुक्त के द्वारा आरोप अस्वीार करते हुए विचारण का दावा किया गया

06. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई परिस्थितयॉ प्रकट नहीं हुई है, जिसके संबंध में धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत परीक्षण किया जा सके।

07. न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि –

01. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 08.09.2022 को समय 08.00बजे घटना स्थल हजारिया बांध का मेड उल्ही खुर्द मनगवां थानांतर्गत अवयस्क अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उक्त अभियोक्त्री को गिराकर हाथ से मुॅह दबाकर कपडे उतरने की कोशिश कर पेट एवं सीने में हाथ लगाकर विवस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक प्रयोग किया?

02. क्या अभियुक्त ने उपरोक्त घटना दिनांक समय व स्थान में उक्त अवयस्क अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

03. क्या अभियुक्त ने उपरोक्त घटना दिनांक समय व स्थान में उक्त अवयस्क अभियोक्त्री पर लैंगिक हमला कारित किया ?

विचारणीय प्रश्न कं. 01 लगायत 03 की विवेचना एवं निष्कर्ष –

08. साक्ष्य के दोहराव से बचने के उद्देश्य से सभी विचारणीय प्रश्नों की विवेचना एक साथ की जा रही है।

09. अभियोक्त्री (अ.सा 01) ने कथन किया कि वह आरोपी संतोष रावत को जानती पहचानती है रिश्ते में उसका भाई लगता है। उसके साथ कोई घटना नहीं हुई है।

10. अभियोक्त्री (अ.सा 01) ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अस्वीकार किया कि उसने दिनांक 08.09.2022 को थाना प्रभारी

मनगवां को एक टाइपशुदा आवेदन प्र.पी. 1 आरोपी संतोष रावत के विरूद्ध दिया था जिसके आधार पर घटना की प्रथमसूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 लेख की गई थी । अस्वीकार किया कि उसने प्र.पी. 2 की प्रथमसूचना रिपोर्ट के पैरा 12 के बी से बी भाग पर की संपूर्ण इबारत पढ़ने के पश्चात ही प्र.पी. 2 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किया था।इसी प्रकार एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी. 3 ,जिला न्यायालय रीवा में मजिस्ट्रेट के समक्ष मेरा प्र.पी. 4 का बयान ,उसकी उपस्थिति में उसके बताये अनुसार प्र.पी. 5 का घटना स्थल का नक्शा तैयार करने और पुलिस कथन प्र.पी. 6 की बात बताने से इंकार किया और प्र.पी. 3 प्र.पी. 4 प्र.पी. 5 प्र.पी. 6 पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया। स्वीकार किया कि उसने सरस्वती शिशु मंदिर रघुराजगढ़ में कक्षा 1 से कक्षा 4 तक पढ़ाई की है। अस्वीकार किया कि उसके शैक्षणिक दस्तावेज में जो जन्मतिथि 21.07. 2007 दर्ज है वही उसकी वास्तविक जन्मतिथि है और जन्मतिथि के अनुसार वह केवल 15 वर्ष की थी। अस्वीकार किया कि आरोपी से राजीनामा होने के कारण उसको बचाने के लिए वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है। अभियोक्त्री (अ.सा 01) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की थीं उसका हाथ नहीं पकड़ा था, उसका मुंह नहीं दबाया था और न ही उसके सीने में हाथ लगाया था।

11. अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.02) ने भी आरोपी संतोष कोल को जानना और परिवार का होना बताया कितु घटना के संबंध में कोई जानकारी होने से इंकार किया। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर स्वीकार किया कि प्र.पी. 5 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं कितु प्र.पी. 5 का घटनास्थल का मौकानक्शा उसकी और अभियोक्त्री की उपस्थिति में अभियोक्त्री के बताये अनुसार पुलिस वालों के बनाए जाने से इंकार किया। पुलिस को प्र.पी. 7 के पुलिस कथन देने का समर्थन नहीं किया।

12. अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी अभियोक्त्री (अ.सा 01), अभियोक्त्री का पिता (अ.सा 02) ने अभियोजन कथानक से पूर्णतः इंकार किया है दोनों साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक के अनुसार किसी घ ाटना के घटित होने से इंकार किया गया और अभियोजन द्वारा सूचक

प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री के घर में घुसकर उसके साथ लैंगिक हमला कारित किया। ऐसी स्थिति में धारा 29 एवं 30 पाक्सो अधिनियम की उपधारणाएं आकर्षित नहीं होती।

13. अभियोजन की साक्ष्य लेने, अभियुक्त और बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात् न्यायालय का यह विचार है कि प्रकरण में इस बात की साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने उस पर लगाए गए अपराध किए है इसलिए न्यायालय दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करता है।

14. अतः अभियुक्त संतोष कोल पिता लल्लू कोल को धारा 232 दं0प्र0सं0 के अनुसार भा0दं0वि0 की धारा 354,354ख,506 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

15. अभियुक्त इस प्रकरण में पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत तथा मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त की अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 दं0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जाए, जो इस आदेश का भाग रहेगा।

16. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

आदेश पृथक से टंकित हस्ताक्षरित
दिनांकित कर पारित किया गया

सही/–
(श्रीमती कंचन गुप्ता)
विशेष सत्र न्यायाधीश
रीवा (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित
किया गया

सही/–
(श्रीमती कंचन गुप्ता)
विशेष सत्र न्यायाधीश
रीवा (म.प्र.)

KANCHAN GUPTA

Digitally signed by KANCHAN GUPTA
Date: 2023.02.11 13:23:39 +0200